न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत विशाला
राजस्व वाद संख्या :— 19 / 2022

वादी
1. मुकनसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत निवासी विशाला तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण
1 मेगसिंह पुत्र बगतसिंह 2 दुर्जनसिंह पुत्र मेगसिंह गोदपुत्र सुरतानसिंह 3 नरपतसिंह 4 हठेसिंह 5 फूलसिंह पिसरान गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी विशाला 6 दीपाराम 7 हेमाराम पिसरान देदाराम 8 भूरीदेवी पत्नी देदाराम 9 तिलोकाराम 10 किशनाराम 11 प्रभूराम 12 सुराराम पिसरान पदमाराम 13 पेपोदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट निवासी विशाला 14 प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा विशाला तहसील व जिला बाड़मेर 15 तहसीलदार बाड़मेर।

फोटो स्टेट प्रमाणित 02003800
दिनांक 5.7.2022
प्रकरण ... नं. 19/2022
... Megsing
न्यायालय A.C. (F.T.) Bmr

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थित — 1. श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 05/07/23

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 19 / 2022 अनवान मुकनसिंह बनाम मेगसिंह वगैराह में दिनांक 18.01.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीशनर नियुक्त किया गया था।

प्रशासन गावों के संग अभियान कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बिशाला में वकील वादी ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादी मौजा विशाला पटवार हल्का विशाला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 552 रकबा 232.09 बीघा, खसरा संख्या 562 रकबा 65.05 बीघा कुल रकबा 297.14 बीघा भूमि में वादी का 1 / 8 हिस्सा अर्थात 37.04 बीघा भूमि खातेदारी में घोषित की जा चुकी है। हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण में सीमा का विवाद नही होने से अब बंटवाड़ा करना नही चाहते है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को जरिये विड्रो विलोपित कर अन्तिम डिक्री जारी करवाने का निवेदन किया।

वकील वादी को सुना गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 18.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वकील वादी के कथन अनुसार प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण में सीमा का विवाद नही होने से अब बंटवाड़ा करना नही चाहते है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को जरिये विड्रो विलोपित कर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को जरिये विड्रो विलोपित कर मौजा विशाला पटवार हल्का विशाला तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 552 रकबा 232.09 बीघा, खसरा संख्या 562 रकबा 65.05 बीघा कुल रकबा 297.14 बीघा भूमि में वादी का 1 / 8 हिस्सा अर्थात 37.04 बीघा भूमि खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(समंदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05/07/23 को मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

मूल से मिलान किया
फोटो कॉपी

प्रमाणित प्रतिलिपि